



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072022-237605
CG-DL-E-27072022-237605

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3238]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3238]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3400(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2450(अ), दिनांक 30 मई 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, दिनांक 30 मई 2022, की गई थी, में एतद्वारा निम्नालिखित संशोधन करती है, अर्थातः—

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0+000 किमी. से 39+750 किमी. तक और 41+550 किमी. से 53+990 किमी. तक की बाबत भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉयंट कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH71 के कि.मी. 0 से 55.9 तक	आंध्र प्रदेश	अन्नमयया	मदनापल्ली	1 बंदमीदा कम्मापल्ले

[फा. सं. NHAI/PIUTPT/M-P/3(a)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3400(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2450(E), dated the 30th May 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30th May 2022, namely:-

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-71 from Km.0+000 to Km.39+750 & from Km.41+550 to Km.53+990 in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	JOINT COLLECTOR	0KM To 55.9KM	ANDHRA PRADESH	Annamayya	Madanapalle	1 Bandameeda Kammapalle

[F. No. NHAI/PIUTPT/M-P/3(a)]

RAJESH GUPTA, Director